

करार / AGREEMENT

एक ओर भारत के राष्ट्रपति जिन्हे इसमें इसके पश्चात् " सरकार" कहा गया है और के बीच (व्यक्ति/संख्या अथवा संगठन का नाम और पूरा पता) जिसे इसमें इसके पश्चात् अभिकर्ता (महिला प्रधान)/अभिकर्ता -संगठन कहा गया है (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत; जहां कहीं संदर्भ से ऐसा ग्राह्य या अपेक्षित हों; उसके उतराधिकारी भी शामिल माने जाएंगे) एक

हजार नौ सौ [] ईसवी सन् के [] महीने की [] तारीख को हस्ताक्षरित करार ।

ARTICLES OF AGREEMENT made at [] this []

Day of [] two thousand and [] between the President of India hereinafter called the "Government" of the one part and []

[] (name and full address of the Individual/Institution or Organisation), hereinafter called the Agent/Agent-organisation (which expression shall be deemed to include her/its successors wherever the context admits or requires of the other Part.

चूंकि सरकार अल्प बचत योजना का विस्तार करने के उद्देश्य से डाकघर के बढने वाले सावधि जमा खातों / आवर्ती जमा खातों के संबंध में प्रचार करने तथा उन खातों में जमा के लिए रकमें प्राप्त करने के लिए " महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना " के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के संगठनों अथवा संस्थाओं / महिलाओं को प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करना चाहती है ।

WHEREAS with a view to expanding the Small Savings Scheme the Government are desirous of appointing organisations or institutions, individual women of the area concerned as authorised agents under the "Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojna" for canvassing and securing investments in P.O. Cumulative Time deposit/Recurring Deposit Accounts.

और चूंकि अभिकर्ता (महिला प्रधान)/ अभिकर्ता-संगठन आगे दी गई शर्तों के अनुसार इस प्रकार के प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है ।

AND WHEREAS the Agent/Agent-Organisation has agreed to act as such authorised agent on the terms and conditions hereinafter appearing.

और चूंकि; इस प्रकार की शर्तों में से एक शर्त यह है कि अभिकर्ता (महिला प्रधान)/ अभिकर्ता-संगठन को; उक्त संविदा को सम्यक पूर्ति के लिये प्रतिभूति (जमानत) के रूप में नियुक्त-प्राधिकारी के पास (शासकीय बचत पत्र अधिनियम 1959 के अधिन जारी) 100 रुपये (एक सौ रुपये) का बचत पत्र भारत के राष्ट्रपति के नाम सम्यक रूप से गिरवी रखना चाहिये या 100 रुपये की अपेक्षित नकद प्रतिभूति राजकोष चालान द्वारा या 1000 रुपये (एक हजार रुपये) की फाइंडेलिटी गारंटी पालिसी जमा करानी चाहिये । और तदनुसार अभिकर्ता (महिला प्रधान) /अभिकर्ता-संगठन ने भारत के

राष्ट्रपति के नाम 100 रुपये (एक सौ रुपये) का बचत -पत्र संख्या []

दिनांक [] गिरवी रख दिया गया है । या राजकोष चालान द्वारा जमा कराई जाने वाली 100

रुपये नगद (एक सौ रुपये) प्रतिभूति राजकोष चालान संख्या [] दिनांक

[] द्वारा जमा करा दी गई है ।

AND WHEREAS it is one of such terms and conditions that the Agent/Agent-Organisation should as security for due fulfillment of the said contract furnish to the Appointing Authority a Savings Certificate (Issued under the Government Savings Certificates Act,1959) for Rs.100 (Rs. One Hundred) only duly pledged to the President of India or a cash security of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only required to be

deposited in the Government Treasury through Treasury Challan or Fidelity Guarantee Policy of the value of Rs. 1,000 (Rs. One Thousand) only and the Agent/Agent-Organisation has accordingly pledged Savings Certificate

No. [] dated [] for Rs. 100(Rs. One Hundred) only to the President of India.

Or

Furnished a cash security of Rs. One Hundred through [] Treasury

Challan No. [] dated []

या

1000 रुपये (एक हजार रुपये) की फाइडेलिटी गारंटी पालिसी प्रस्तुत कर दी है ।

or

Furnished Fidelity Guarantee Policy for Rs.1000(Rs. One Thousand) only,

No. [] dated []

अब सम्बन्धित पक्ष; एतद्द्वारा इन बातों के लिए परस्पर सहमत है ।

NOW IT IS HEREBY AGREED by and between the parties hereto as follows:-

1. अभिकर्ता (महिला प्रधान)/ अभिकर्ता-संगठन –
The Agent/Agent-Organisation shall-

(1) डाकघर बचत बैंक में 10 वर्षीय संचयी सावधि जमा और 5 वर्षीय आवर्ती जमा खातों के सम्बन्ध में प्रचार करेगा तथा इन उपर्युक्त जमा खातों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार इन में जमा के लिए रकमें प्राप्त करेगा । अभिकर्ता संगठन अधिक से अधिक अपने छः / तीन अभिकर्ताओं के माध्यम से अभिकरण (एजेंसी) का काम करेगा (इन कार्यकर्ताओं को इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत कार्यकर्ता कहा गया है ।)

Canvass for and secure deposits in 10-year C.T.D. and 5-year Recurring Deposit Accounts in POSB in accordance with the rules governing, the two aforesaid deposit accounts.

The Agent-Organisation shall work the agency through not more than six/three workers (thereinafter referred to as “Authorised Workers”)

(II) वह इस योजना के अन्तर्गत जमा कर्ताओं से प्राप्त किसी भी राशी के लिए उसे/ उन्हें भारत सरकार से निर्धारित और प्राप्त रसीद के छपे हुए कार्ड (फार्म सं. म.प्र.क्षे. ब. यो. 5) में आवश्यक प्रविष्टि करेगा ।

make necessary entry for any amount received from the depositors under this scheme, in the printed card (F.No. ASLAAS-5) form prescribed by the Government of India and supplied to her/it.

(III) वह जमाकर्ताओं से प्राप्त राशियों को उनकी प्राप्ति के पांच दिनों के अंदर-अंदर उस डाकघर में जमा करा देगा जिसमें इस योजना के अन्तर्गत रकमें जमा कराने के लिए उस अभिकर्ता महिला प्रधान प्राधिकृत कार्यकर्ता को उक्त डाकघर से संलग्न किया गया होगा और जब तक वह निर्दिष्ट तरीके से डाकघर में रकमें जमा नहीं करता तब तक उन्हें अपने पास भारत सरकार की ओर से न्यास के रूप में रखेगा ।

deposit the moneys so received in the Post Office to which the Agent/authorised worker is attached for making deposit under the scheme, within 5(Five) days of the receipt of the moneys, and pending such deposits to hold the moneys in trust for and on behalf of the Government of India.

(IV) वह जमा के लिए रकमें स्वीकार करने वाले डाकघर के पासबुक प्राप्त करेगा जिसमें अभिकर्ता नेता महिला प्रधान प्राधिकृत कार्यकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रत्येक राशि की प्रविष्टि होगी और डाकघर से पासबुक प्राप्त करने के 10 दिनों के अन्दर-अन्दर जमाकर्ता को उसकी पासबुक वापस कर देगा ।

receive from the deposit accepting Post Office the Pass Book(s) covering each and every deposit made by the Agent/Authorised Worker and deliver the same Pass Book(s) to the depositor(s) within 10 days of

receiving it from the Post Office.

(V) वह जमा कर्ता (ओं) को उसकी पास-बुक वापस मिलने के प्रमाण स्वरूप कार्ड के उपयुक्त-कालम (कोष्ठक) में उससे तारीख सहित हस्ताक्षर करवा लेगा ।

obtain from the depositor(s) his/her acquittance with signature and date in the appropriate column of the card in token of the having received the Pass Book(s).

(VI) यदि कार्ड प्राधिकार प्रमाण पत्र अभिकर्ता (महिला प्रधान)/ प्राधिकृत कार्यकर्ता के पास से खो जाए तो उसे उसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी; सम्बन्धित क्षेत्र के जिला बचत अधिकारी और स्थानीय पुलिस को तत्काल देनी होगी और उक्त कागज-पत्रों के खो जाने के बारे में उसे अपने खर्च पर कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करनी पड़ेगी ।

notify immediately to the "Appointing Authority", the District Savings Officer of the area and local police of the area the loss of cards/certificate of Authority if such loss takes place while the documents are in the custody of the Agent/Authorised worker and to publish the loss as a public notice in at least one local newspaper at her/its cost.

(VII) वह ऐसे सभी निर्देशों और अनुदेशों का पालन करेगा जो भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे दिए जाएंगे ।

follow all directions and instructions as may be issued to her/it from time to time by the Government of India or by persons duly authorised by the government.

(VIII) वह इस करार की अवधि के दौरान जमा कराई गई रकम पर कमीशन के लिए पात्र होगा यथा (क) इस करार के अर्न्तगत उसके द्वारा खुलवाए गए खातों पर या महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अर्न्तगत पहले करार के अधीन खोले खातों पर और ख " नियुक्ति अधिकारी " द्वारा उसे ट्रांसफर किए उन खातों पर जिन्हें कि अन्य एजेंट / एजेंट संगठन ने खुलवाया हो लेकिन वह / वे उन खातों के सम्बन्धित अपने करार के अनुसार अपने उत्तरदायित्व निभाने की स्थिति में नहीं हों ।

be entitled to commission only on deposits made during the period of this agreement in the following types of accounts, namely,

- (a) account opened by her/it under this agreement Mahila Pradhan kshetriya Bachat Yojna, and
- (b) accounts transferred by the "Appointing Authority" to her/it from another Agent/Agent-Organisation who has opened such accounts and is not in a position to discharge her/its responsibilities in terms of her/its agreement in respect of such accounts.

(IX) वह उन खातों में जमा की गई रकम पर कमीशन पाने का अधिकारी नहीं होगा जो उसने न खुलवाये हों और not be entitled to claim any commission on the deposits received in respect of any other account not opened by her/it, and

(X) वह इस अभिकरण का लाभ या उसका कोई अंश किसी तृतीय पक्ष को न तो सौंपेगा और न ही अथवा अन्तिरित करेगा । not assign or otherwise transfer the benefit of this agency or any part thereof to a third party

2 अभिकर्ता महिला प्रधान / अभिकर्ता संगठन अपने प्राधिकृत क्षेत्र में रहने वाले जमाकर्ता / जमाकर्ताओं से उर्पयुक्त शर्तों के अनुसार डाकघर में बढ़ने वाले सावधि जमा खातों और डाकघर के आवर्ती जमा खातों में जमा के लिए जितनी कुल राशि प्राप्त करेगा और पूरी तरह जमा करा देगा उस पर वह सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर कमीशन पाने का हकदार होगा । अभिकर्ता महिला प्रधान / अभिकर्ता संगठन द्वारा निर्धारित तरीके से कमीशन का दावा पेश किए जाने पर भुगतान-प्राधिकारी उसे कमीशन अदा करेगा । इन शर्तों के अनुसार अभिकर्ता महिला प्रधान / अभिकर्ता संगठन उसके द्वारा किए गए कामों के सम्बन्ध में उर्पयुक्त कमीशन के अलावा और कोई कमीशन पारिश्रमिक या रकम पाने का हकदार नहीं होगा चाहे वह इस प्रयोजन के लिए कुछ भी खर्च करे ।

The Agent/Agent-Organisation shall be entitled to receive a commission(at such rate as may be notified by the Government of India from time to time) on total investments received and completed according to

the aforesaid terms and conditions in the P.O. cumulative Time Deposit Accounts and P.O. Recurring Deposit Accounts from the depositor(s) residing in the area for which she/it is authorised. The commission shall be payable to her/it by the "Paying Authority" on submission of commission claim in the prescribed manner. The Agent/Agent-Organisation shall not be entitled to any other commission, remuneration or payment whatsoever for the work done under the presents except the commission as aforesaid notwithstanding any expenses she/it may incur for the purpose.

3. एजेंसी अभिकरण को समय से पूर्व ही निरस्त करने की यहां दी गई व्यवस्थाओं के अधीन एजेंसी का कार्यकाल इस करार की तारीख से 3 (तीन) वर्ष तक होगा और उसके बाद एजेंसी एजेंट द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर सरकार की इच्छा पर पुनः नवीकरण की जाएगी जो की एक समय 3 वर्ष (तीन वर्ष) से अधिक न होगी ।

subject to the provisions for earlier termination hereinafter contained the period of agency shall be three years commencing from the date of this agreement, and thereafter the agency may, on an application being made in this behalf by the agent, be renewed at the option of the Government for further periods not exceeding three years at a time.

4. यदि अभिकर्ता / या अभिकर्ता संगठन के काम या आचरण पर निगरानी करने वाले अधिकारी द्वारा विपरीत टिप्पणी की जाती है या "नियुक्त अधिकारी" के विचार में वह इस करार के उपबंधों को भंग करने का दोषी है या वह दिवालिया हो जाता / जाती है या लिक्विडेशन में चला / बेबाक हो जाता है या यह पाया जाता है कि कारोबार या उसका कुछ अंश उसने डाक-तार विभाग या राष्ट्रीय बचत संगठन के किसी कर्मचारी की मिलीभगत/सहयोग से प्राप्त किया है तो उसकी एजेंसी नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बिना सूचना दिए निरस्त कर दी जाएगी और उस कारोबार पर अर्जित कमीशन जब्त किया जा सकेगा और यदि उस कारोबार पर कमीशन का भुगतान कर दिया गया है तो एजेंट / एजेंट संगठन इसे सरकार को वापस लौटाएगा ऐसा न करने पर इसे एजेंट / एजेंट संगठन से भू राजस्व की तरह वसूल किया जाएगा ।

The agency would be liable to be terminated by the "Appointing Authority" without notice, if the work or conduct of the Agent/Agent-Organisation is adversely commented upon by the supervising authorities or if she/it, in the opinion of the "Appointing Authority" which shall be final and binding, guilty of breach of any provision of this agreement, or if she/it becomes insolvent, or runs into liquidation or it is discovered that a part or whole of the business was secured by her/it with the help or connivance of an official of the Posts and Telegraph Department or National Savings Organisation; the commission earned on such business would also be liable to forfeiture and if the commission on such business has already been paid, the agent/agent-organisation must refund it to the Government, failing which the Government shall have the right to recover the amount of such commission paid, from the Agent/Agent-Organisation as an arrears of land revenue.

5. उपरोक्त पैरा तीन और चार में दी गई बातों के होते हुए भी इस करार को उभय पक्षों द्वारा तीन माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा । बशर्ते कि "नियुक्त अधिकारी" को यह अधिकार रहेगा कि वह एजेंसी को बिना सूचना दिए और बिना कारण बताए समाप्त कर सकेगा ।

Notwithstanding anything contained in Paragraphs 3 and 4, this agreement may be terminated by either party by giving three months notice to the other; provided, however, that the "appointing authority" shall be at liberty to terminate the agency at any time without notice and without assigning any reasons for the same.

6. किसी भी अवसर पर इस करार के समाप्त होने पर या "नियुक्त अधिकारी" को ऐसा करने की जरूरत पड़े तो एजेंट / एजेंट संगठन की यह जिम्मेवारी होगी कि वह एजेंसी से सम्बन्धित सारे दस्तावेज / कागजपत्र नियुक्त अधिकारी को लौटा दे । अभिकर्ता / अभिकर्ता संगठन या उसके प्राधिकृत कार्यकर्ताओं से चूक हो जाने के कारण जो भी हानि होगी अथवा दावे उत्पन्न होंगे उसके लिए अभिकर्ता / अभिकर्ता संगठन सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा ।

On termination of this agreement, however occasioned, or as and when called for by the "Appointing Authority", the Agent/Agent-Organisation shall be responsible for the return to the "Appointing

Authority” of all the documents and papers concerning the agency. The Agent/ Agent-Organisation shall indemnify the Government of India against any or all losses or claims that may arise on account of any default of the Agent/Agent-Organisation or its authorised worker(s).

7. इस करार मे प्रयुक्त “नियुक्ति अधिकारी” और निगरानी करने वाले अधिकारी राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा जारी महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना और उसके अंतर्गत जारी अधिशासी अनुदेशों मे यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

The terms “Appointing Authority” and “Supervising Authorities” used in this agreement shall be the authorities as specified in Mahila Pradhan Kshetrita Bachat Yojna issued by National savings Organisation and Executive instructions issued thereunder.

8. इस करार के सम्बन्ध मे स्टाम्प शुल्क की अदायगी सरकार द्वारा दी जाएगी ।

The stamp duty on this agreement will be paid by the Government.

इसके साक्ष्य मे इस करार मे सर्वप्रथम उल्लिखित वर्ष महिने और तारीख को राष्ट्रपति की ओर से

[] (नियुक्ति अधिकारी का पद)
[] ने
[]
[] और
[]
(अभिकर्ता (महिला प्रधान) / अभिकर्ता संगठन)

की ओर से []
हस्ताक्षर अंकित किए हैं ।

INWITNESS WHEREOF THE President has caused the []
(Designation of the appointing authority)

to set his hand and [] has/have set his/her/their hand
on behalf of [] the day, month and year first hereinabove written.
(The name of the agent-leader/Agent-Organisation)

हस्ताक्षर तथा प्रदत्त

Signed and delivered by

[]
[]
[]

कृते []
[अभिकर्ता (महिला प्रधान)/ अभिकर्ता संगठन का नाम]

[] or and on

behalf of
(The name of the Agent leader/Agent-Organisation)

साक्षी : (साक्षी के हस्ताक्षर और पता)
In the presence of (Signature and address of witness)

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

हस्ताक्षर तथा प्रदत्त

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(नियुक्ति अधिकारी का नाम व पद)

Signed and delivered by the (Name and Designation of the Appointing Authority)

कृते भारत का राष्ट्रपति
On behalf of the President of India in the presence of
साक्षी : (साक्षी के हस्ताक्षर और पता)
(Signature and address of witness)

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>